

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा  
लिखित प्रश्न संख्या: 5299

गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

तेलंगाना में विमानपत्तनों का विकास

5299. श्रीमती डी. के. अरुणा:

श्री इटेला राजेंदर:

श्री चमाला किरण कुमार रेहुँी:

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तेलंगाना राज्य सरकार ने वारंगल (ममनूर गांव), भद्राद्री-कोठागुडम, अंथारगांव, पेद्दापल्ली और आदिलाबाद में चार विमानपत्तनों के विकास के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या सरकार का तेलंगाना के वारंगल जिले में एक नए विमानपत्तन को मंजूरी देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या जीएचआईएएल ने 150 किलोमीटर के प्रतिबंध के संबंध में रियायत समझौते में खंड 5.2 में छूट देकर वारंगल विमानपत्तन के लिए एक-बार अनुमोदन के रूप में अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) दिया है और इसे जीएचआईएएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) क्या तेलंगाना राज्य सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के समन्वय से उड़ान योजना के अंतर्गत राज्य में टियर-2 शहरों के लिए हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में वारंगल विमानपत्तन का विकास करने के लिए तैयार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और टीईएफआर रिपोर्ट में परामर्शदाताओं द्वारा दी गई सलाह के अनुसार आवश्यक अवसंरचना हेतु वारंगल में आवश्यक अतिरिक्त भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या तेलंगाना राज्य सरकार ने शमशाबाद विमानपत्तन पर संकुलता को कम करने के लिए वारंगल में एक पूर्ण विमानपत्तन की स्थापना में तेजी लाने के लिए निदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) : नवंबर 2024 में तेलंगाना सरकार ने यह जानकारी प्रेषित की थी कि वारंगल (ममनूर गांव), भद्राद्री-कोठागुडम, अंथारगांव, पेद्दापल्ली और आदिलाबाद वायुमार्ग के विकास के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। जबकि भद्राद्री-कोठागुडम और अंथारगांव, पेद्दापल्ली ग्रीनफील्ड साइट हैं, वारंगल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का गैर-प्रचालन हवाईअड्डा है और आदिलाबाद भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के अंतर्गत आता है।

भारत सरकार ने देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा डेवलपर हवाईअड्डा विकसित करना चाहता है, तो उन्हें उपयुक्त स्थल की पहचान करनी होगी और व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन करवाना होगा तथा 'साइट-क्लीयरेंस' के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

तेलंगाना में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए सरकार या किसी भी हवाईअड्डा विकासकर्ता से जीएफए नीति के तहत 'साइट क्लीयरेंस' मांगने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर जनवरी, 2025 में भद्राद्री-कोठागुडेम में प्रस्तावित स्थल पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन किया है।

(ख) से (छ) : नवंबर, 2024 में तेलंगाना सरकार ने बताया कि जीएचआईएएल ने अपने बोर्ड की मंजूरी से 150 किलोमीटर की दूरी संबंधी प्रतिबंध में छूट देकर वारंगल हवाईअड्डे के लिए एकबारगी मंजूरी के रूप में अनापत्ति प्रदान कर दी है। यह निम्नलिखित के अध्यधीन है:

“अनापत्ति केवल ममनूर हवाईअड्डे के लिए लागू है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या तेलंगाना सरकार द्वारा किसी अन्य हवाईअड्डे को विकसित करने की आगामी योजनाओं के लिए पूर्व-उदाहरण के तौर पर नहीं माना जाए और इसे एचआईएएल के रियायत समझौते के खंड 5.2 के तहत शामिल किया जाए।”

दिसंबर, 2024 में, तेलंगाना सरकार ने सूचित किया कि उन्होंने ममनूर हवाईअड्डे के विकास के लिए एसी. 280.30 जीटीएस माप तक की भूमि के अधिग्रहण के आदेश जारी किए हैं और भूमि अधिग्रहण के लिए 205 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं।

भारत सरकार ने 25.02.2025 को हैदराबाद ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे से संबंधित रियायत समझौते के विशिष्टता खंड 5.2 को छोड़ते हुए तेलंगाना में वारंगल (ममनूर) हवाईअड्डे के विकास के लिए अपनी ओर से मंजूरी दे दी है।

\*\*\*\*\*